प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पशुधन,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

पत्र सं0– 676 /ईपीडी0/आपदा/2015–16/ दिनांक 1-6-2015

विषयः– **बाढ़ एवं सूखा की कार्य योजना बनाये जाने तथा लागू किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1521/37–2–2015 राजस्व अनुभाग–।। दिनांक 27.05.2015 का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 02.06.2015 को अपराह्न 1 से 2 बजे उनके सभाकक्ष में बैठक के आयोजन से अवगत कराया है।

उपरोक्त के क्रम में विभागीय कार्य योजना/रणनीति तैयार की गई है जो प्रस्तुत की जा रही है। इसके साथ में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को प्रेषित निर्देश(पत्र सं0–623/ईपीडी/दिनांक 27.04.2015 तथा पत्रांक–647/ईपीडी/बाढ़ दिनांक 11.05.2015) भी संलग्न किये जा रहे है।

कृपया अवगत होना चाहें।

भवदीय

निदेशक

संख्या 676 /ईपीडी/आपदा/ 2015–16 / दिनांक 1-6-2015

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

निदेशक

पशुधन आपदा प्रबन्धन योजना

प्रदेश में 7.36 करोड़ कुल पशुधन है। नवीनतम पशुगणना के अनुसार इस पशुधन से प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रतिवर्ष सूखा/बाढ़/ओलावृष्टि/अतिवृष्टि आदि के कारण पशुधन उत्पादन में कमी के साथ–साथ पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग फैल जाते है।

प्रदेश के समस्त जनपदीय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को सूखा आपदा के पशुधन पर पडने वाले विपरीत प्रभावों एवं क्षति से बचाव के लिये सूखा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के निर्देश निदेशालय के पत्रांक–623/इपीडी/15–16/दिनांक 27.04.2015 द्वारा निर्गत किये गये है। इसी प्रकार बाढ़ से पशुओं पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए जनपदीय आपदा प्रबन्धन प्लान बनाने एवं उसकी प्रति निदेशालय में उपलब्ध कराने के लिये पत्रांक–647/इपीडी/दिशा–निर्देश/15–16 दिनांक 11.05.2015 के द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। जिसके अनुपालन में जनपद स्तर पर कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

आपदा प्रबन्धन (बाढ़/सूखा) हेतु रणनीति

क0सं0	मुख्य बिन्दु	अघतन स्थिति
1	भूसा व्यापारियों का चिन्हांकन	आवश्यकता पडने पर उनसे भूसा आपूर्ति की सहमति, मात्रा, दर आदि का निर्धारण कर लिया गया है। कम्प्रेस्ड फाडर ब्लाक जो परिवहन में सुगम है तथा अधिक पौष्टिक है की व्यवस्था बुन्देलखण्ड हेतु कर ली गई है।
2	चरी विषाक्तता (एच0सी0एन0 वायजनिंग) की जानकारी	पशुपालकों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चरी न खिलाने की जानकारी पशुचिकित्सकों के माध्यम से प्रदान की गई। आवश्यक जीवन रक्षक दवा (सोडियम थायो सल्फेट) की उपलब्धता पशुचिकित्सालयों पर है।
3	रोग नियंत्रण एवं बचाव– (अ)– टीकाकरण– (ब)– औषधियां–	 संक्रामक रोगों से बचाव हेतु एक करोड़ से अधिक खुराक वैक्सीन टीकाकरण हेतु उपलब्ध करा दी गई है। आपदा संभावित क्षेत्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। आपदा से पूर्व एवं आपदा के दौरान पशुओं की जीवन रक्षा एवं अन्य आवश्यक औषधियां की व्यवस्था पशुचिकित्सालयों पर की गई है।
4	मानव संशाधन की व्यवस्था–	जनपदों में बाढ/सूखा आपदा के दौरान चिकित्सा एवं अन्य कार्यो हेतु राहत/चिकित्सा शिविर में पशुचिकित्सा अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी आदि को नामित कर दिया गया है। राहत स्थलों के चयन में राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित किया गया है।
5	नवीन राहत मानकों का प्रचार एवं प्रसार–	भारत सरकार के नवीनतम राहत मानक दिनांक 08.04.2015 के क्रम में बड़े पशुओं के आहार हेतु रू0 70/– प्रतिदिन तथा छोटे पशुओं हेतु रू0 35/– प्रतिदिन की अनुमन्यता से अवगत करा दिया गया है।

6	शासकीय शुल्क की वसूली	शासन द्वारा आपदा काल में चिकित्सा आदि की लेवी जिलाधिकारी के माध्यम से माफ कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त पशु टीकाकरण में लिया जाने वाला शुल्क शासन के आदेश दिनांक 04.03.2013 द्वारा माफ कर दिया गया है।
7	कन्ट्रोल रूम की स्थापना	निदेशालय में कार्यरत है जो प्रातः 8 बजे से सांयकाल 8 बजे तक क्रियाशील रहता है। आपदा घोषित होते ही यह कन्ट्रोल रूम 24 घंटे क्रियाशील कर दिया जाने के निर्देश है। कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नंबर–0522–2741991 तथा 0522–2741992 है।
8	अतिरिक्त मानव संशाधन	मन्डल स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों का एक अतिरिक्त समूह तैयार किया गया है जिसमें 10 पशुचिकित्सा अधिकारी 20 पशुधन प्रसार अधिकारी व 20 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते है। यह आपात स्थिति में अतिरिक्त संशाधन के रूप में हमेशा तैयार रहेंगे। इनके शीघ्र परिवहन हेतु अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था की गई है।
9	आपदा कार्यो का अनुश्रवण	आपदा काल में पर्यवेक्षण हेतु मुख्यालय अधिकारियों को भेजा जाता है तथा दैनि मूल्यांकन कन्ट्रोल रूम पर किया जाता है।